न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2020-00162RAAJodhpur2020-80RTA225 Shivram Vs Ramaram etc

शिवराम पुत्र श्री सरदारराम जाति जाट, निवासी- ग्राम बिसलपुर, तहसील व जिला जोधपुर।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते जोधपुर

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. रामाराम पुत्र श्री भानाराम के कायम मुकाम-
   1.1. मुल्तानराम पुत्र स्व. श्री रामाराम, जाति जाट, निवासी- खसरा नं. 1311 ग्राम धायलो की ढाणी, तहसील व जिला जोधपुर।
   1.2. कोया पुत्री स्व. श्री रामाराम पत्नी श्री रामपाल, जाति- जाट, निवासी- कुड़ी भोपालगढ, जिला जोधपुर।
   1.3. कुकी पुत्र स्व. श्री रामाराम, पत्नी श्री गंगाराम जाति जाट, निवासी- जाटियावास, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
   1.4. मुली पुत्री स्व. श्री रामाराम पत्नी श्री भंवरलाल जाति जाट, निवासी- बिसलपुर, तहसील व जिला जोधपुर।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 10 जुलाई 2019 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2018 रामाराम बनाम शिवराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री बाबूलाल गोरा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1/1

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री कमलेश राठौड़, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या 3

नि र्ण य

दिनांक : 31 जुलाई 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2018 रामाराम बनाम शिवराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 जुलाई 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 23 जुलाई 2020 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 1311 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा ग्राम धायलो की ढाणी तहसील जोधपुर में आने-जाने हेतु अपीलांट/अप्रार्थी के खातेदारी खसरा नं. 1275 एवं सरकारी भूमि खसरा नं. 1312 एवं 1272 में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 जुलाई 2019 के जरिये प्रार्थी/रेस्पो का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय एवं अभिलेख के विरुद्ध होने से अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मन तामील करवाये बिना ही उसके विरुद्ध दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

01.02.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही का गैर कानूनी आदेश पारित किया तथा उसके आधार पर पटवारी हल्का ने भी एकपक्षीय मौका फर्द तैयार की जिसके आधार पर एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने गैर मुमकिन नाड़ी खसरा नं. 1312 एवं खसरा नं. 1262 को गैर मुमकिन रास्ते में बदलने का आदेश देने में भारी भूल की गयी है, जबकि गैर मुमकिन नाडी जो जलग्रहण क्षेत्र है, जिसकी एक इंच भूमि भी किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तन नहीं की जा सकती है, जिसको परिवर्तन करने का विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई मौका फर्द दिनांक 08.05.2019 भी संबंधित पक्षकारों का अपीलार्थी को नोटिस दिये बिना एकतरफा तैयार की गई है, इसके अलावा पटवारी हल्का को इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार नहीं है। मौका रिपोर्ट तैयारी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये नियम 67 से 70 तक के अनिवार्य प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। आवेदक प्रत्यर्थी संख्या एक के खेत खसरा नं. 1311 का कोई रास्ता अपीलार्थी के खसरा नं. में से नहीं रहा है, अपीलार्थी का खसरा उसके पड़ोसी खसरा नंबर नहीं है, उसका पड़ोसी खसरा नं. 1313 जो निजी खातेदारी का है तथा आगे कटाणी मार्ग से भी लगता है, उसमें से भी होकर प्रत्यर्थी संख्या एक का आना जाना है, इसके अलावा प्रत्यर्थी संख्या एक खसरा नं. 1309 की माठ से होकर आगे आता है, इसलिए इसके दो वैकल्पिक रास्ते मौके पर मौजूद है तो अपीलार्थी के खेत से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। इस कारण अपीलाधीन आदेश धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन कार्यवाही अपीलार्थी के विरूद्ध गैर कानूनी एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अपीलार्थी को सुनवाई व सूचना का नोटिस ही नहीं मिला। दिनांक 18.07.2020 को अपीलांट द्वारा अपने खेत की जमाबंदी की नकल लेने पर हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि आपके खेत में सें एसडीओ जोधपुर के आदेश से नामांतरकरण संख्या 367 दिनांक 15.07. 2020 के द्वारा रास्ता दर्ज किया गया है, का कहने पर पहली बार जानकारी हुई। इसके बाद अपीलांट द्वारा दिनांक 20.07.2020 को विचारण न्यायालय में नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 22.07.2020 को नकल प्राप्त हुई, जिसको अपने अभिभाषक को बतायी, तब अभिभाषक द्वारा पढकर सुनाने व समझाने से पूर्ण जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी से अंदर म्याद अपील प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जावे एवं गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 10 जुलाई 2019 को निरस्त किये जाने तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए खारिज किये जाने का आदेश फरमावे। वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में 2017(2)आर.आर.टी. पेज 789, 2019(2)आर.आर.टी. पेज 1507 की न्यायिक नजीरे पेश की।

जबाब में अधिवक्तागण रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में अपीलाधीन रास्ते को ही निकटतम बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा मौका फर्द के आधार पर लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 में राजकीय भूमि में चालू रास्ते को रेकर्ड दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। विचारण न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है तथा तरमीम होकर मौके पर रास्ता चल रहा है। अपीलांट द्वारा एक वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज की जावे।

रेस्पो. संख्या दो के अधिवक्ता एवं विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुति में हुए विलंब के बतलाये गये कारणों को मद्देनजर रखते हुए एवं मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील प्रस्तुति में हुए विलंब पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मौका फर्द दिनांक 08.05.2019 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट के आवागमन हेतु रास्ता मार्क ए,बी,सी,डी निकटतम एवं लघुतम बताया गया है जो गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं. 95 से लगता है तथा खसरा नं. 1272, 1275 एवं 1312 की सीमाओं के सहारे-सहारे चलता है। खसरा नं. 1272 एवं 1312 किस्म गैर मुमकिन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नाड़ी रेस्पोडेंट संख्या दो नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा खसरा नं. 1275 अपीलांट की खातेदारी में दर्ज है।

अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट के आवागमन हेतु खसरा नं. 1313 में से वैकल्पिक रास्ता होना बताया गया है, किंतु मौका फर्द में अंकित नजरी नक्शे के अवलोकन मुताबिक खसरा नं. 1313 में बताया गया रास्ते का विकल्प प्रथमदृष्टया अत्यधिक लंबा पाया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के परिप्रेक्ष्य में भू-अभिलेख निरीक्षक के स्तर से कम अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया जा सकता है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 69 के तहत आज्ञापक प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में मौका फर्द पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है, लिहाजा इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होने से लागू होते है। ऐसी परिस्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश भू-अभिलेख निरीक्षक से कम स्तर के कार्मिक द्वारा तैयार की गई होने, तथा उक्त मौका फर्द के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2018 रामाराम बनाम शिवराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 जुलाई 2019 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में भू-अभिलेख निरीक्षक के स्तर कार्मिक/अधिकारी से उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब करे तथा उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय को यह भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्देश दिये जाते है कि ऐसे मामलों में भू-अभिलेख निरीक्षक से नीचे स्तर के कार्मिक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करे। साथ ही अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन को पाबंद किया जाता है कि वह मौके पर चालू रास्ते पर रेस्पोडेंट्स के आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा रास्ते के संबंध में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.07.23

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर